रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)--78

REGISTERED No. D-(D)—78

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
3 SEP 1978

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 3, 1978 (ज्येष्ठ 13, 1900)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 3, 1978 (JYAISTHA 13, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	555
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	741
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	5
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	513
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	1139
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . .	1131
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	129
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	3071
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	433
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	89
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1183
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	93

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	555
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	741
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	5
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	513
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories ..	1139
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1131
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	129
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	3071
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	433
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	89
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1183
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	93

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 मई 1978

सं० 4/1/77-आर० सी० सी०—रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा सामान्य राजस्व की तुलना म रेल वित्त संबंधी अन्य अनुषंगी मामलों का पुनरीक्षण करने हेतु गठित संसदीय समिति में 17 मई, 1978 को राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को सर्वश्री गुलाब राव पाटिल, हर्षदेव मालवीय, पी० वी० स्वामीनाथन् तथा वीरेन्द्र पाटिल के राज्य सभा के सदस्य के रूप म अपना कार्यकाल पूरा करने पर, सेवा निवृत होने के परिणामस्वरूप खाली हुए स्थानों पर नामजद किया गया :—

1. श्री जगजीत सिंह आनन्द
2. श्री एम० आर० कृष्णा
3. श्री प्रकाश मेहरोत्रा
4. श्री सैयद निज़ामुद्दीन

हरि गोपाल परांजपे, संयुक्त सचिव ।

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 1978

संकल्प

सं० टी० प सी०/3(15)/77—देश में पिछले दशक में हुए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों और 1978—83 की योजना के प्रारूप में निर्धारित उद्देश्यों की दृष्टि से, योजना आयोग ने नई योजना प्राथमिकताओं की पृष्ठभूमि में उपयुक्त राष्ट्रीय परिवहन नीति तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने का निर्णय किया है । सरकार द्वारा यथानुमोदित यह नीति, समुदाय की और साथ ही कृषि, उद्योग तथा व्यापार की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को न्यूनतम सामाजिक लागत पर पूरा करने के लिए एक परिवहन प्रणाली विकसित करने के हेतु एक आधार का काम देगी । इस समिति का नाम राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति होगा । इसका गठन और इसके विचारार्थ विषय नीचे लिखे अनुसार होंगे :—

गठन

1. श्री बी० डी० पांडे	अध्यक्ष
2. एयर चीफ मार्शल श्री पी० सी० लाल . .	सदस्य
3. श्री जी० पी० वारीयर	सदस्य
4. डा० एफ० पी० अंतिया . . .	सदस्य
5. डा० एम० क्यू० दलवी . . .	सदस्य
6. सलाहकार (परिवहन), योजना आयोग . .	सदस्य-सचिव

समिति परिवहन के किसी भी संबंधित क्षेत्र में अधिकतम तीन विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेगी ।

विचारार्थ विषय :

1 पंचवर्षीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए देश के लिए अगले दशक या ऐसी ही अवधि के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय परिवहन नीति प्रस्तावित करना । ऐसी नीति तैयार करते समय, समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(क) अधिकतम रोजगार क्षमता के सर्जन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रणालियों के इष्टतम अंतर निर्देश सम्मिश्र की सिफारिश करेगी और हरेक प्रणाली में उपयुक्त तकनीकी चयन का सुझाव भी देगा; और

(ख) राष्ट्रीय परिवहन नीति के संगत घटकों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा प्रमुख परिवहन अधिकरणों द्वारा राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर तैयार किए गए कार्यक्रमों का आयोजन, कार्यान्वयन, प्रबोधन और मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक संगठनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी उपायों का सुझाव देना ।

2. ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करना जिसमें परिवहन प्रणाली के आंकड़ा आधार को सुदृढ़ किया जाए जिससे कि एकीकृत परिवहन योजनाएं तैयार की जा सकें और केंद्रीय, राज्य, जिला तथा खंड स्तरों पर ऐसी योजनाएँ तैयार करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए कार्यविधियों तथा रीति-विधानों का सुझाव देना ।

3. ऐसे क्षेत्रों की सिफारिश करना जिनमें परिवहन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का कार्य किया जाना चाहिए और उसको कार्यान्वित करने के लिए संस्थागत ढांचे की भी सिफारिश करना ।

4. परिवहन आयोजन और प्रबंध में प्रशिक्षण की सुविधाओं में सुधार करने के लिए उपायों का सुझाव देना ।

5. ऐसे अन्य किन्हीं उपायों का सिफारिश करना जिन्हें समिति उपर्युक्त मद 1 से 4 तक के संबंध में सुसंगत समझे ।

समिति परिवहन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं और उप-क्षेत्रों के अध्ययन विशेषज्ञ निकायों द्वारा करवा सकेगी ।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में रहेगा । समिति ऐसे स्थानों का दौरा कर सकेगी जिन्हें उसके कार्य के लिए आवश्यक समझा जाए ।

समिति अक्तूबर, 1978 तक अंतरिम रिपोर्ट और मार्च, 1979 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए और इसे आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

विधायी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल, 1978

अनुशिष्ट

सं० एफ० 4(3) (3)/76-रा० भा०:—विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग के तारीख 12 अप्रैल, 1978 के संकल्प सं० एफ० 4(3) (3)/76-रा० भा० में जिसके द्वारा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया था, क्रमांक 14 और उसके सामने की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"14क संयुक्त सचिव,
राजभाषा विभाग ....सदस्य (पदेन)"

आदेश

आदेश किया जाता है कि इस अनुशिष्ट की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग लोक सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह अनुशिष्ट सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ई० वेंकटेश्वरन्, संयुक्त सचिव (प्रशा०)

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 1978

शुद्धि-पत्र

विषय :—केन्द्रीय (हज) सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन।

सं० एम (हज)/118-1/13/77—इस मंत्रालय के सम संख्यक संकल्प, तारीख 13 मार्च, 1978 की क्रम संख्या 12 पर दिये गये नाम "मौलाना मोहम्मद इरफान खां" के बदले "मौलाना मोहम्मद इमरान खां नदवी" पढ़ा जाए।

एस० शहाबुद्दीन, संयुक्त सचिव (हज)

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 1978

सं० 14-20/76-एल० डी० 1—कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को, जो केंद्रीय सरकार, पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, उन व्यक्तियों की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। यह सूचना भी दी जाती है कि उक्त प्रारूप-नियमों पर उस तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् विचार किया जाएगा, जिस तारीख को राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हुई हो, जनता को उपलब्ध कराई जाएं।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप-नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों अथवा सुझावों पर केंद्रीय सरकार विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना :—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु-क्रूरता निवारण (पशु-परिसरों का पंजीकरण) नियम, 1977 है।

(ii) ये नियम केवल उन्हीं शहरों अथवा नगरों को लागू होंगे, जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है।

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "पशु" से अभिप्रेत है—सांड, भैंस, गाय, बैल तथा घोड़े, जिसमें उनके बच्चे भी शामिल हैं:

(ख) "पंजीकरण प्राधिकरण" से अभिप्रेत है—राज्य सरकार के अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के पशु-चिकित्सा विभाग का ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।

3. परिसरों का पंजीकरण—ऐसे परिसर का स्वामी अथवा भारसाधक प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें लाभ के प्रयोजन के लिए कम से कम पांच पशु रखे जाते हों, किसी भी दशा में, जहां परिसर पहले से ही मौजूद हैं, इन नियमों के प्रारम्भ होने से तीन मास की अवधि के भीतर, तथा किसी दशा में जहां, इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, कोई ऐसा परिसर खोला जाना हो, ऐसा परिसर खोलने से पहले, ऐसे परिसर के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

4. पंजीकरण के लिए आवेदन—पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में, रखे गए या रखे जाने वाले पशुओं की संख्या तथा किस्म, वह प्रयोजन, जिसके लिए वे पशु रखे जा रहे हैं अथवा रखे जाने हैं, फर्श क्षेत्रफल, फर्श-निर्माण, आवातन, खाद्य और पानी की सप्लाई, रोगाणुनाशन, जल-निकास, गोबर अथवा व्यर्थ पदार्थों के निपटान, चारदीवारी के संबंध में पूरी जानकारी दी जाएगी। आवेदन में इस मामले से सुसंगत ऐसी अन्य जानकारी भी दी जाएगी जिसकी पंजीकरण प्राधिकारी विशिष्ट रूप से मांग करे।

5. पंजीकरण प्रमाण-पत्र (i) यदि पंजीकरण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि उसे दी गई सूचना के आधार पर पशु-कल्याण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित है और उन्हें अनावश्यक कष्ट होने की संभावना नहीं है, तो वह परिसर का पंजीकरण कर देगा और इस संबंध में आवेदक को एक प्रमाण पत्र जारी कर देगा।

(ii) प्रत्येक पंजीकरण प्रमाणपत्र, अपने जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, किंतु वर्तमान प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने के तीन मास के भीतर, परिसरों के स्वामी अथवा भारसाधक व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर, एक बार में तीन वर्ष की अवधि के लिए इसका समय-समय पर नवीकरण किया जा सकता है।

6. परिसर का निरीक्षण—इन नियमों के अधीन परिसरों का, स्थानीय प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार के किसी भी पशु-चिकित्सा अधिकारी या लोक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस संबंध में सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकृत करे, हर उपयुक्त समय पर, निरीक्षण किया जा सकता है।

7. पंजीकरण का रद्द किया जाना—यदि किसी भी परिसर का इन नियमों के अधीन अपेक्षित रीति से रख-रखाव नहीं किया जाता, तो पंजीकरण प्राधिकारी लिखित रूप से सूचना देकर पंजीकरण को रद्द कर सकता है। लिखित सूचना में वह उस आधार पर उल्लेख करेगा जिस पर नोटिस दिया जा रहा है और साथ ही संबंधित व्यक्ति को कारण बताने का अवसर भी दिया जाएगा।

8. अपील—इन नियमों के अधीन किसी भी परिसर की पंजीकरण करने से इनकार करने अथवा उसे रद्द किए जाने के किसी भी आदेश के विरुद्ध किसी ऐसे अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को अपील की जा सकेगी जिसे राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट करे।

9. अधिनियम की धारा 12 का प्रदर्शन—यदि किसी परिसर में दुधारू पशु रखे जाते हैं, तो उस परिसर में, या परिसर के समीप, पशु-क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 12 की एक प्रति, उस क्षेत्र में आमतौर पर समझी जाने वाली भाषा में, प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

10. व्यावृत्ति—यदि किसी क्षेत्र में, जहां ये नियम लागू होते हैं, तत्समय लागू किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाया गया कोई ऐसा नियम, विनियम या उप-विधि लागू है, जिसमें ऐसे परिसरों के पंजीकरण या अनुज्ञापन के उपबन्ध सन्निहित हैं, पशु अथवा किसी किस्म के पशु रखे जाते हैं तो ऐसा नियम, विनियम अथवा उप-विधि, उस सीमा तक, जहां तक उसमें यथास्थिति पशु या किसी किस्म के पशु से संबंधित उपबन्ध सन्निहित हैं, लागू रखें और उस सीमा तक ये नियम लागू नहीं होंगे।

बी० बी० कपूर, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई, 1978

सं० 50-3/77-एल० डी० टी० (एल० एच०-एक्यू०) :— भारत सरकार ने निम्नलिखित वस्तुओं के आयात तथा निर्यात को विनियमित करने के उद्देश्य से उपयुक्त विधान की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की है :

1. (क) पशु (पालतू, प्रयोगशालाओं तथा चिड़ियाघरों के जानवर), कुक्कुट तथा अन्य पक्षी कीड़े एवं मछलियां आदि।
   (ख) पशु-उत्पाद (खाल, बाल, पशुलोम, दूध तथा दुग्ध उत्पाद, अंडे शरीर की आंतें और उपर्युक्त (क) में दिए गए जानवरों के निःस्राव तथा विष्ठा आदि)
   (ग) जैविकीय-सीरा और टीके तथा निदान संबंधी "एन्टीजेन्स" हारमोन, वीर्य तथा शरीर के अन्य तरल पदार्थ व किसी भी रूप में निःस्राव।
   (घ) पशु चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कल्चर या नमूनों के माइक्रो-आर्गेनिज्म (बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवा, पराश्रयी तथा फफूंद)।

2. उपर्युक्त विधान के कारगर कार्यान्वयन के लिए साधनोपायों के सुझाव देना।

3. विशिष्ठ परीक्षण शुरु करने के लिए भारत में विशिष्ठ सुविधाओं वाली कुछ सुसज्जित प्रयोगशालाओं के लिए सरकारी मान्यता हेतु सुझाव देना ताकि उनकी रिपोर्ट को कानूनी तौर पर स्वीकार किया जा सके।

समिति के सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :-

अध्यक्ष :—

1. डा० जे० एम० लाल, संयुक्त आयुक्त (एल० पी०), कृषि विभाग, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

सदस्य :—

2. डा० एस० सी० माथुर, उपायुक्त (एल० एच०), कृषि विभाग, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. डा० बी० बी० मलिक, प्रभागाध्यक्ष, भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुक्तेश्वर, जिला नैनीताल (उत्तर प्रदेश)।
4. डा० ए० सी० माथुर, सहायक महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. डा० एस० सी० अदलखा, सहायक महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. डा० पी० के० उप्पल, जीवाणुविज्ञान के प्रभागाध्यक्ष, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, (उत्तर प्रदेश)।
7. डा० एम० पी० जी० कुरूप, पशुपालन प्रभाग के अध्यक्ष, भारतीय डेरी निगम, "दर्पण" बिल्डिंग, बड़ौदा।
8. डा० वी० के० शर्मा, प्रभागाध्यक्ष, पशु-चिकित्सा, जीवाणुविज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान, कालेज आफ वेटेरिनरी मेडिसिन, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
9. डा० बी० एस० गिल, डीन, कालेज आफ वेटेरिनरी मेडिसिन पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना।
10. डा० ए० एन० रायचौधरी, उप निदेशक, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान, अलीपुर रोड, दिल्ली।
11. डा० ओ० पी० गौतम, डीन, कालेज आफ वेटेरिनरी मेडिसिन, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
12. डा० पी० बी० कुण्डू, निदेशक, पशु-चिकित्सा सेवा, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता।
13. डा० एम० ए० श्रीनिवासन, प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल।
14. डा० ए० के० चटर्जी, उपायुक्त (एस० एच० तथा बी० एफ०) कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।
15. डा० एम० बी० पीटर, निदेशक, दिल्ली चिड़िया घर, दिल्ली।
16. मुख्य आयात तथा निर्यात नियंत्रक, उद्योग भवन, नई दिल्ली या प्रतिनिधि।
17. सचिव, विविध :—विधि तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय विधि विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
18. निदेशक निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षा सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वित्त मंत्रालय, डी० ब्लाक, इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली।
19. डा० के० आर० भारद्वाज, सहायक आयुक्त (ए० क्यू०) कृषि विभाग कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली (सदस्य सचिव)

अध्यक्ष आवश्यकतानुसार इस विषय के किसी भी अन्य विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकता है, उससे सलाह ले सकता है अथवा उसे सहयोजित कर सकता है।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में सूचना के लिए प्रकाशित कर दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणी (यदि कोई हो) आमंत्रित करने के लिए भेज दी जाए।

अन्ना आर० मलहोत्रा, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 1978

(अकाल)

सं० 15-1/77-एफ० आर०:—भारतीय लोक विकास न्यास के प्रशासन के नियमों के नियम 7 के अन्तर्गत बनाए गए उप-नियम 7 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार भारतीय लोक अकाल न्यास की 1-7-75 से 30-6-77 तक की अवधि की प्राप्तियों, अदायगी तथा परिसम्पत्तियों के लेखा-परीक्षित खातों को प्रकाशित करती है।

नगेन्द्र सिंह, उप सचिव

अनुसूची-1

30-6-1977 को कार्यालय बन्द होने के समय भारतीय लोक अकाल न्यास के खातों का ब्यौरा

	रु०	टिप्पणी
1. कोषाध्यक्ष, धर्मस्व धनराशि, पश्चिम बंगाल के अधिकार में सरकारी जमानतों में धर्मस्व धनराशि	32,78400.00	कोषाध्यक्ष, धर्मस्व धनराशि कलकत्ता के एजेन्ट ने पत्र सं० 1559 ए० सी० दिनांक 25-5-1977 द्वारा जमानतों के व्यावहारिक सत्यापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
2. स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली के पास अल्पावधि जमा	1,25,000.00	
3. 30-6-77 को स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली के बचत बैंक खाते में रोकड़।	59,142.40	
	34,62,542.40	

जांच करने से सही पाया गया

ह०
अवैतनिक सचिव

ह०/-
महालेखाकार
केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली

अनुसूची–2

भारतीय लोक अकाल न्यास

1-7-76 से 30-6-77 तक की अवधि के दौरान प्राप्तियों तथा अदायगियों के लेखे का सार

	रु०	रु०		रु०
1. आरम्भिक शेष . .		2,10,975.28	1. हरियाणा सरकार को अनुदान का भुगतान .	25,000.00
(1) चालू खाता . .	1,22,423.98		2. उड़ीसा सरकार को अनुदान का भुगतान . .	15,000.00
(2) बचत बैंक . .	88,551.30		3. असम सरकार को अनुदान का भुगतान . .	20,000.00
2. 32,78,400.00 रु० की अर्मस्व धनराशि पर ब्याज . .		48,684.24	4. तमिलनाडु सरकार को अनुदान का भुगतान .	20,000.00
3. बिना खर्च हुई शेष राशि की अदायगी . . .		695.55	5. एस० ए० एस० लेखाकारों को मानदेय . .	175.00
4. स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में अल्पावधि जमा तथा बचत बैंक खाते पर ब्याज . .		3,962.33	6. अंतिम शेष	1,84,142.40
			(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया में 1,25,000.00 का अल्पावधि जमा	
			(ख) स्टेट बैंक आफ इंडिया के बचत खाते में 59,142.40 रु० की जमा रकम	
जांच करने से सही पाया गया		2,64,317.40		2,64,317.40

ह०/–
महालेखाकार
केन्द्रीय राजस्व नई दिल्ली।

ह/०–
अवैतनिक सचिव

नगेन्द्र सिंह, उप सचिव

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 1978

संकल्प

सं० 17/4/78-वि० का०-एक—माही नियंत्रण बोर्ड के गठन के बारे में भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के संकल्प संख्या 72/1/71-वि० का०-एक दिनांक 27-11-71 (समय-समय पर यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

पैरा 4 की वर्तमान प्रविष्टि संख्या (II) :

"उप मंत्री, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार" सदस्य हटा दी जाए

उसके बाद की प्रविष्टियों (iii), (iv) और (v) (क) को क्रमश: (ii) (iii) एवं (iv) की संख्या दी जाय।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक, प्रधान मंत्री के कार्यालयों, राष्ट्रपति के सचिव और योजना आयोग को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत में प्रकाशित किया जाए और राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे संकल्प को आम सूचना के लिए राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित करें।

सुरेन्द्र बहादुर खरे, संयुक्त सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-1, the 20th May 1978

No. 4/1/77-RCC.—The following Members of Rajya Sabha have been nominated on 17th May, 1978 to serve as Members of the Parliamentary Committee to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance *vis-a-vis* the General Finance in the vacancies caused by the retirement of Sarvashri Gulabrao Patil, Harsh Deo Malaviya, V. V. Swaminathan and Veerendra Patil on the completion of their term of office as Members of Rajya Sabha :—

1. Shri Jagjit Singh Anand
2. Shri M. R. Krishna
3. Shri Prakash Mehrotra
4. Shri Syed Nizam-ud-din.

H. G. PARANJPE
Jt. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 26th April 1978

RESOLUTION

No. T&C/3(15)/77.—In view of the socio-economic changes that have taken place in the country during the last decade and the new priorities and objectives set out in the Draft 1978—83 Plan, the Planning Commission have decided to set up a high-level Committee to formulate a national transport policy tailored to meeting the new Plan priorities. The policy as approved by Government will serve as the basis for developing a transportation system for meeting the transport requirements of the community; as also of agriculture, industry and trade at the minimum social cost. The Committee will be termed the National Transport Policy Committee. Its composition and terms of reference are as set out below :

COMPOSITION

Chairman

1. Shri B. D. Pande

Member

2. Air Chief Marshal Shri P. C. Lal
3. Shri G. P. Warrier
4. Dr. F. P. Antia
5. Dr. M. O. Dalvi

Member-Secretary

6. Adviser (Transport) Planning Commission

The Committee may coopt upto a maximum of three experts in any connected field of transport.

Terms of Reference :

1. To propose a comprehensive national transport policy for the country for the next decade or so keeping in view the objectives and priorities set out in the Five Year Plan. In formulating such a policy, the Committee will :

   (a) recommend an optimal inter-modal mix of different systems and also suggest appropriate technical choices within each system keeping in view the need to generate maximum employment potential; and

   (b) suggest organisational, administrative, fiscal and legal measures required for planning, implementating, monitoring and evaluating programmes formulated for giving effect to relevant components of the national transport policy by the Central and State Governments and major transport agencies at both the National, State and local levels.

2. To identify the areas in which the data base of the transport system should be strengthened in order to be able to formulate integrated transport plans and to suggest procedures and methodologies for formulating and appraising such plans at the Central, State, district and Block levels.

3. To recommend areas in which research and development in the transport field should be undertaken and the institutional framework for carrying it out.

4. To suggest measures for improving training facilities in transport planning and management.

5. To recommend any other measures which the Committee consider relevant in relation to the items 1 to 4 above.

The Committee may get studies on various aspects and sub-sectors of the transport system carried out by expert bodies.

The Head Quarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee may visit such places as may be considered necessary for its work.

The Committee will submit an interim report by October 1978 and a final report by March 1979.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned and that it may be published in the Gazette of India for general information.

K. K. SRIVASTAVA,
Joint Secretary

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

LEGISLATIVE DEPARTMENT

New Delhi, the 28th April 1978

No. F. 4(3)(3)/76-O.L.—In the Resolution of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Legislative Department No. F. 4(3)(3)/76-O.L., dated the 12th April, 1978, reconstituting the Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, after Serial No. 14 and the entry against it, the following shall be inserted, namely :

"14A. Joint Secretary, Department Member (ex-officio) of Official Languages.

ORDER

ORDERED that a copy of this Addendum be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Central Revenues and all Ministries and Department of the Government of India.

ORDERED also that the Addendum be published in the Gazette of India for general information.

E. VENKATESWARAN
Jt. Secy. (Administration)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the April 1978

CORRIGENDUM

SUBJECT :—*Reconstitution of Central Haj Advisory Board.*

No. M(HAJ)/118-1/13/77.—The name at S. No. 12 of this Ministry's Resolution of even number dated the 13th March, 1978, may be read as "Moulana Mohamed Imran Khan Nadvi" instead of "Moulana Mohamed Irfan Khan".

S. SHAHABUDDIN
Joint Secretary (HAJ)

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 13th April 1978

No. 14-20/76-L.D.I.—The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), is hereby published, as required by sub-section (1) of section 38 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of forty-five days from the date on which the copies of the official gazette in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. SHORT TITLE AND APPLICATION :—(i) These rules may be called the Prevention of Cruelty to Animals (Registration of Cattle Premises) Rules, 1977.

(ii) These rules shall apply only to cities or towns which have a population exceeding one lakh.

2. DEFINATIONS :—In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) 'cattle' means Oxen, buffaloes, cows, bullocks and horses, including their young ones;

(b) 'registering authority' means such officer of the veterinary department of the State Government or of a local authority as the State Government may, by general or special order, specify in this behalf.

3. REGISTRATION OF PREMISES :—Every person owning or in charge or premises in which not less than five heads or cattle are kept for the purpose of profit shall, in any case, where the premises are already in existence, within three months from the commencement of these rules and, in any case where, after the commencement of these rules, any such premises are to be opened, before the opening of such premises, apply to the registering authority for the registration of such premises.

4. APPLICATION FOR REGISTRATION :—Every application for registration shall contain full information regarding the number and types of animals kept or to be kept, the purpose for which they are being kept or are to be kept, the provision made or to be made as respects floor space, flooring, ventilation, supply of food and water, disinfection, drainage, disposal of dung or unwanted matter, boundry walls and shall also contain such other information relevant to the matter as may be specifically called for by the registering authority.

5. CERTIFICATE OF REGISTRATION :—(i) If the registering authority is satisfied that having regard to the information supplied the welfare of the cattle is adequately secured and that they are not likely to undergo any unnecessary suffering, he shall register the premises and issue to the applicant a certificate in respect thereof.

(ii) Every certificate of registration shall be valid for a period of three years from the date of issue thereof, but it may be renewed from time to time for a period of three years at a time on application made by the person owning or in charge of the premises, within three months from the date of expiry of the existing certificate.

6. INSPECTION OF PREMISES :—Every premises registered under these rules shall be open for inspection at all reasonable times by any veterinary or public health officer of the local authority or of the State Government who may be authorised by the State Government in this behalf by general or special order.

7. CANCELLATION OF REGISTRATION :—If any premises are not maintained in the manner required under these rules, the registering authority may, by notice in writing stating the grounds on which the notice proceeds and after giving an opportunity to the person concerned to show cause, cancel the registration.

8. APPEAL :—An appeal shall lie from any order refusing or cancelling the registration of any premises under these rules to such officer or other authority as the State Government may specify in this behalf.

9. DISPLAY OF SECTION 12 OF THE ACT :—If in any premises milch cattle are kept, there shall be displayed prominently in or near the premises a copy of section 12 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, in a language commonly understood in the area.

10. SAVING :—If there is in force in any area to which these rules apply, any rule, regulation or bye-law made under any law for the time being in force by any local authority which contains provisions for the registration or licensing of premises in which cattle or any type thereof are kept, then such rule, regulation or bye-law to the extent to which it contains provisions relating to cattle or any type thereof, as the case may be, shall prevail and these rules shall to that extent be of no avail.

B. R. KAPUR, Deputy Secretary

New Delhi, the 11th May 1978

No. 50-3/77 LDT(LH-AQ).—The Government of India has constituted a Committee to recommend suitable legislation to regulate the import and export of :

1. (a) Animals (Domestic, Laboratory and Zoo animals, Poultry and other birds, insects and fish, etc.;

(b) Animal products (skin, hair, fur, milk and milk products, eggs, body tissues, secretions and extracts of animas listed in (a) above;

(c) Biologicals : Sera & vaccines and diagnostic antigens, hormones, semen and other body fluids or extracts in any form;

(d) Micro-organisms (Bacteria Viruses, Protozoa, Parasites & Fungi) in cultures or specimens of veterinary importance.

2. To recommend ways and means for effective implementation of above legislation.

3. To recommend for official recognition some well-equipped laboratories in India having specialised facilities for undertaking specific tests so that their report may be legally acceptable.

The composition of the Committee will be as follows :

Chairman

1. Dr. J. M. Lal, Jt Commissioner (LP), Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation, Krishi Bhawan, New Delhi.

Members

2. Dr. S. C. Mathur, Dy Commissioner (LH), Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation, Krishi Bhawan, New Delhi.

3. Dr. B. B. Mallik, Head of the Division, Indian Veterinary Research Institute, Mukteshwar, District Nainital (UP).

4. Dr. A. C. Mathur, Asstt. Director-General, I.C.A.R., Krishi Bhawan, New Delhi.

5. Dr. S. C. Adlakha, Asstt. Director-General, I.C.A.R., Krishi Bhawan, New Delhi.

6. Dr. P. K. Uppal, Head of the Division of Bacteriology, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar (UP).

7. Dr. M. P. G. Kurup, Head of the Division of the Animal Husbandry, Indian Dairy Corporation, Darpan Building, Baroda.

8. Dr. V. K. Sharma, Head of the Department, Veterinary, Bacteriology and Hygiene, College of Veterinary Medicine, Haryana Agricultural University, Hissar.

9. Dr. B. S. Gill, Dean, College of Veterinary Medicine, Punjab Agricultural University, Ludhiana.

10. Dr. A. N. Raichoudhury, Dy. Director, National Institute of Communicable Diseases, Alipore Road, Delhi.

11. Dr. O. P. Gautam, Dean, College of Veterinary Medicine, Haryana Agricultural University, Hissar.

12. Dr. P. B. Kundu, Drector, Veterinary Services, West Bengal, Calcutta.

13. Dr. M. A. Sreenivasan, Principal, National Dairy Research Institute, Karnal.

14. Dr. A. K. Chatterjee, Dy. Commissioner (SH & BF), Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), Krishi Bhawan, New Delhi.

15. Dr. M. B. Peter, Director, Delhi Zoological Park, Delhi.

16. The Chief Controller of Imports & Exports, Udyog Bhawan, New Delhi or his representative.

17. Sri B. S. Hedge, D.L.A., A nominee of Ministry of Law & Company Affairs, Department of Law, Shastri Bhawan, New Delhi.

18. The Director, Inspection & Audit, Customs & Central Excise, Ministry of Finance, D Block, Indraprastha Bhawan, New Delhi.

19. Dr. K. R. Bhardwaj, Asstt. Commissioner (AQ), Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation, Krishi Bhawan, New Delhi.

(Member-Secretary)

The Chairman may invite, consult or co-opt any other expert on the subject, if and when required.

ORDER

1. ORDERED that the notification be published in the Gazette of India for information.

2. ORDERED also that a copy of the notification may also be communicated to all State Governments, and Union Territories with a view to invite their comments, if any.

ANNA R. MALHOTRA, Addl. Secy.

New Delhi, the 11th May 1978

(FAMINE)

No. 15-1/77-SR.—In pursuance of the provisions of the Bye-law 7 made under Rule 7 of the Rules for the Administration of the Indian People's Famine Trust, the Central Government are pleased to publish the audited accounts of the receipt, disbursement and assets of the Indian People's Famine Trust for the period 1-7-76 to 30-6-77.

SCHEDULE I

INDIAN PEOPLE'S FAMINE TRUST

Statement showing details of Accounts at the close of 30-6-1977

		Rs.	Remarks
1.	Endowment Fund in Govt. Securities vested in Treasurer, Charitable Endowment West Bengal	32,78,400·00	The Certificate for physical verification of Securities has been furnished by Agent to Tteasurer Charitable Endowment Calcutta vide their letter No. 1559-AC dated 25-5-1977.
2.	Short term Deposit with the State Bank of India, New Delhi.	1,25,000.00	
3.	Cash in Savings Bank Account with the State Bank of India, New Delhi as on 30-6-1977.	59,142·40	
		34,62,542·40	

Sd/-
Honorary Secretary.

Checked and found correct.
Sd/-
Acoountant General
CENTRAL REVENUE
NEW DELHI.

SCHEDULE II

INDIAN PEOPLE'S FAMINE TRUST

Abstract Accounts of Receipts and Disbursements during the period 1-7-1976 to 30-6-1977

RECEIPTS		Rs.	EXPENDITURE		Rs.
1. Opening Balance		2,10,975·28	1. Payment of Grant to Govt. of Haryana .		25,000·00
(*i*) Current Account	1,22,423·98				
(*ii*) Saving Bank	88,551·30		2. Payment of Grant to Govt. of Orissa .		15,000·00
2. Interest of Endowment Fund of Rs. 32,78,400·00 . . .		48,684·24	3. Payment of Grant to Govt. of Assam .		20,000·00
3. Refund of Unspent Balance . . .		695·55	4. Payment of Grant to Govt. of Tamil Nadu		20,000·00
4. Interest on short term Deposits and Savings Bank Account with State Bank of India, New Delhi.		3,962·33	5. Honorarium to S.A.S. Accountants . .		175·00
			6. Closing Balance		1,84,142·40
			(*a*) Short term Deposit with the State Bank of India . .	1,25,000·00	
			(*b*) Cash in Savings Bank of India. . .	59,142·40	
Rs.		2,64,317·40	Rs.		2,64,317·40

Sd/-
Honorary Secretary.

Checked and found Correct.
Sd/-
Accountant General
A. G. C. R.
NEW DELHI.

Naginder Singh, Dy. Secy.

DEPTT. OF IRRIGATION

New Delhi, the 12th May 1978

RESOLUTION

No. 17/4/78-DW-I.—The following amendment is made to the erstwhile Ministry of Irrigation and Power's Resolution No. 72/1/71-DW-I dated the 27th November, 1971 (as amended from time to time) regarding constitution of the Mahi Control Board :—

In Para 4, *the existing entry No.* (ii) :

"Deputy Minister, Ministry of Agriculture and Irrigation, Government of India" as Member *may be deleted.*

The subsequent entries namely (iii), (iv) and (iv) (a) may be renumbered as (ii), (iii) and (iv) respectively.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments, the several Ministries of the Government of India, the Comptroller & Auditor General of India, Prime Minister's office, Secretary to the President and Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazettee of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

S. B. KHARE
Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978